न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, सिकराय, जिला दौसा, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी– अनामिका सारण, UID - RJ00700
(आरजेएस–जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या – 2/2024
सी.आई.एस. नं. – 2/2024
सी.एन.आर. नं. – आरजेडीएस 180000532024

सीमा कुमारी पत्नी महेन्द्र सिंह निवासी रायपुरा गुजरान पुलिस थाना मानपुर तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान –परिवादीया

बनाम

1– मुकेश कुमार पुत्र सीताराम निवासी रायपुरा गुजरान पुलिस थाना मानपुर तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान,
2– राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक

परिवादीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकः 18.08.2025, वास्ते अभियुक्त मुकेश कुमार के पूर्व से पेश नियमित जमानत मुचलके रदद किए जाने बाबत, बमुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 266/2023 पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा, अपराध अन्तर्गत धारा 450, 342, 323, 354, 354 क, 354 ख, 376/511, 419, 506, 109 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित –
1. श्री हरिराम गुर्जर, विद्वान अधिवक्ता– परिवादीया की ओर से।
2. श्री अमरनाथ शर्मा, विद्वान अपर लोक अभियोजक–राजस्थान राज्य की ओर से।
3. श्री उदयसिंह गुर्जर, विद्वान अधिवक्ता– अभियुक्तगण की ओर से।

आदेश

दिनांक: 10.09.2025

1– परिवादीया सीमा कुमारी की ओर से न्यायालय में दिनांकः 18.08.2025 को प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण को दिलायी गयी। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे।

2– परिवादीया सीमा कुमारी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ

जयपुर के एस.बी. क्रिमीनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नं. 14704/2023, मुकेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकः 14.12.2023 की पालना अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र सीताराम निवासी रायपुरा गुजरान पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया था लेकिन अभियुक्त मुकेश कुमार द्वारा अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के एस.बी.क्रिमीनल मिसलेनियस बेल केन्सीलेशन एम्लीकेशन नं. 59/2025, सीमा देवी बनाम राजस्थान राज्य व मुकेश कुमार में पारित आदेश दिनांकः 31.07.2025 के द्वारा अभियुक्त मुकेश कुमार को आदेश दिनांकः 14.12.2023 की पालना में दिये गये अग्रिम जमानत के लाभ को निरस्त किया गया है। अतः अभियुक्त मुकेश कुमार की ओर से पूर्व में पेश नियमित जमानत मुचलके रदद कर उसका गिरफतारी वारण्ट जारी करने का निवेदन किया गया है।

3– उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब अभियुक्त मुकेश कुमार की ओर से प्रस्तुत किया गया, जिसमें अंकित किया गया है कि अभियुक्त लम्बे समय से जमानत पर है व नियमित रूप से तारीख पेशी पर आता रहा है। उसके विरूद्ध परिवादीया द्वारा साजकर झूंठा मुकदमा दर्ज कराकर फसाया गया है। अभियुक्त ने कभी भी परिवादीया को प्रकरण में राजीनामा करने व बयान बदलने व बयान नहीं देने हेतु दवाब नहीं डाला है। परिवादीया स्वयं ने न्यायालय में दिनांकः 28.07.2025 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर साक्ष्य हेतु समय चाहा गया था और परिवादीया ने न्यायालय में अपने बयान लेखबद्ध नहीं करवाये और परिवादीया को साक्ष्य हेतु गिरफतारी वारण्ट से तलब किया गया। इस प्रकार परिवादीया ने अभियुक्त को हैरान परेशान करने की नीयत से उक्त दिनांकः 28.07.2025 को न्यायालय में उपस्थित होते हुए भी अपने बयान लेखबद्ध नहीं करवाये। अभियुक्त द्वारा परिवादीया व गवाहान पर कभी भी किसी प्रकार का दवाब नहीं दिया गया है। अतः परिवादीया का प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया है।

4– प्रार्थनापत्र पर उभय पक्षों की बहस सुनी गयी एवं न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादीया की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस व दस्तावेजों का भी अवलोकन किया गया।

5– विद्वान अधिवक्ता परिवादीया ने प्रार्थनापत्र व लिखित बहस में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए मौखिक रूप से तर्क दिया है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त मुकेश कुमार के विरूद्ध अपराध धारा 450, 342, 323, 354, 354 क, 354 ख, 376/511, 419, 506, 109 भारतीय दण्ड संहिता में आरोपपत्र पेश किया जा चुका है और अभियुक्त मुकेश कुमार को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार शर्तों पर अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया। इसके पश्चात अभियुक्त मुकेश कुमार द्वारा राजीनामा करने के लिए दवाब बनाने की कोशिश की तथा गाली गलौच करते हुये धमकी दी कि यदि राजीनामा नहीं किया और मेरे विरूद्ध कोर्ट में बयान दिये तो परिवादीया के अश्लील वीडियो व फोटो एडिट कर बदनाम कर दूंगा तथा हाथ पैर तोड दूंगा। इसके बाद व्हाटसअपर अश्लील वीडियों व फोटो शेयर कर दी तथा जान से मारने की धमकी दी और मकान के बाहर आकर परिवादीया के साथ गाली गलौच कर मारपीट की। जिसकी पुलिस थाना मानपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 69/2025 दिनांकः 22.03.2025 को दर्ज करायी, जिसमें दिनांकः 10.06.2025 को अभियुक्त मुकेश कुमार के विरूद्ध अपराध धारा 115(2), 126(2), 74, 79, 352, 351(2) भारतीय दण्ड संहिता व 67 सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2008 में न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकराय में आरोपपत्र पेश किया जा चुका है। जिसके संबंध में सत्यप्रति दस्तावेजात की प्रतियां भी प्रस्तुत की गयी है। अभियुक्त मुकेश कुमार द्वारा अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के एस.बी.क्रिमीनल मिसलेनियस बेल केन्सीलेशन एम्लीकेशन नं. 59/2025, सीमा देवी बनाम राजस्थान राज्य व मुकेश कुमार में पारित आदेश दिनांकः 31.07.2025 के द्वारा अभियुक्त मुकेश कुमार को आदेश दिनांकः 14.12.2023 की पालना में दिये गये अग्रिम जमानत के लाभ को निरस्त किया गया है। अतः अभियुक्त मुकेश कुमार की ओर से पूर्व में पेश नियमित जमानत मुचलके रदद कर उसका गिरफतारी वारण्ट जारी करने का निवेदन किया गया है। विद्वान अधिवक्ता परिवादीया की ओर से अपने तर्को के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय का **सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत क्रिमीनल अपील नं. 3830/2025, फिरेराम बनाम उत्तरप्रदेश राज्य व अन्य**

दिनांकः 2 सितम्बर 2025 एवं सुशीला अग्रवाल बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली राज्य दिनांकः 29 जनवरी 2020 प्रस्तुत किए गए हैं।

6– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जवाब प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कहा है कि हस्तगत प्रकरण में परिवादीया जानबूझकर प्रकरण को लम्बित कर रही है और जो दूसरी एफआईआर दर्ज करवायी गयी है, वह परिवादीया की ओर से नहीं करवायी गयी है बल्कि उसके पति की ओर से दर्ज करवायी गयी है, जो झूठी दर्ज करवायी गयी है। अतः परिवादीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया गया है। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उचित आदेश पारित किए जाने का निवदेन किया है।

7– उभय पक्ष के तर्को पर गम्भीरता से मनन किया तथा न्यायालय पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकः 14.12.2023 व 31.07.2025 का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

8– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में परिवादिया सीमा की ओर से पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 266/2023 में बाद अनुसंधान अभियुक्तगण मुकेश कुमार व विष्णु कुमार के विरूद्ध अपराध धारा 450, 342, 323, 354, 354 क, 354 ख, 376/511, 419, 506, 109 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांकः 30.01.2024 को पेश किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने जमानत के संबंध में यह उल्लेख किया है कि "माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विविध जमानत याचिका सं. 14704/2023 में पारित आदेश से अभियुक्त मुकेश कुमार को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में एक बार जमानत का लाभ दिये जाने पर अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर पुन आदेश पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की मूल भावना को देखते हुए अभियुक्त मुकेश कुमार को न्यायालय में नियमित उपस्थिति के लिए पचास–पचास हजार की दो जमानतें व एक लाख रूपये का निजी बंध पत्र पेश करने के आदेश दिए जाते हैं। आदेश की पालना में जमानत

मुचलके पेश होने पर सत्यापित करके शामिल पत्रावली किये गये।" इसके पश्चात उक्त प्रकरण इस न्यायालय में कमिट होकर दिनांकः 12.02.2024 को प्राप्त हुआ, जिस पर उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराधों का आरोप विरचित किया जा चुका है और प्रकरण साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर लम्बित है।

9– इसके पश्चात परिवादीया ने दिनांकः 28.07.2025 को न्यायालय में इस आशय का प्रार्थनापत्र पेश किया कि अभियुक्त अनावश्यक उस पर दवाब डाल रहा है, जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल मिसलेनियस बेल केंसीलेशन एपलिकेशन 59/2025 प्रस्तुत कर रखी है एवं उक्त प्रार्थनापत्र मे परिवादीया ने जब तक माननीय राजस्थान उच्च न्ययालय बैंच जयपुर में विचाराधीन क्रिमिनल मिसलेनियस बेल केंसीलेशन एपलिकेशन 59/2025 का निस्तारण नहीं हो जाता एवं जब तक परिवादिया मानसिक रूप से गवाह देने हेतु तैयार नहीं हो जाती, तब तक परिवादिया को उक्त प्रकरण में साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान करने का निवेदन किया गया। परिवादीया की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 69/2025, पुलिस थाना मानपुर से संबंधित चार्जशीट व अन्य दस्तावेजात की सत्यप्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं। जिनके अनुसार यह तथ्य आया है कि परिवादीया के पति ने मय परिवादीया के पुलिस थाना मानपुर में उपस्थित होकर दिनांकः 22.03.2025 को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है कि अभियुक्त मुकेश कुमार द्वारा राजीनामा करने के लिए दवाब बनाने की कोशिश की तथा गाली गलौच करते हुये धमकी दी कि यदि राजीनामा नहीं किया और मेरे विरूद्ध कोर्ट में बयान दिये तो परिवादीया के अश्लील वीडियो व फोटो एडिट कर बदनाम कर दूंगा तथा हाथ पैर तोड दूंगा। इसके बाद व्हाटसअपर अश्लील वीडियों व फोटो शेयर कर दी तथा जान से मारने की धमकी दी और मकान के बाहर आकर परिवादीया के साथ गाली गलौच कर मारपीट की। उक्त प्रकरण में दिनांकः 10.06.2025 को अभियुक्त मुकेश कुमार के विरूद्ध अपराध धारा 115(2), 126(2), 74, 79, 352, 351(2) भारतीय दण्ड संहिता व 67 सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2008 में न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकराय में आरोपपत्र पेश किया जा चुका है।

10– हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के एस.बी. क्रिमीनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नं. 14704/2023, मुकेश कुमार

बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकः 14.12.2023 की पालना अभियुक्त मुकेश कुमार को शर्तानुसार अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत के अनुसरण में नियमित जमानत का आदेश पारित किया गया था और अभियुक्त मुकेश कुमार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के एस.बी. क्रिमीनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नं. 14704/2023, मुकेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकः 14.12.2023 में वर्णित तीनों शर्तों की पालना किया जाना भी सुनिश्चित किया गया था। इन तीन शर्तों में शर्त नं. 2 यह थी कि **"(ii). that the petitioner shall not directly or indirectly make any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or any police officer; and"** लेकिन अभियुक्त मुकेश कुमार द्वारा परिवादीया व उसके पति को तंग व परेशान किया गया, इस बाबत परिवादीया व उसके पति द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 69/2025 पुलिस थाना मानपुर में दर्ज करायी गयी, जिसमें अभियुक्त मुकेश कुमार के विरूद्ध चार्जशीट भी पेश हुयी है व एफआईआर के साथ परिवादीया के साथ मारपीट पर चोट प्रतिवेदन भी संलग्न है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अपने जवाब व बहस में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया कि उक्त मुकदमा रंजिशवश दर्ज कराया गया हो। इसके अलावा अभियुक्त मुकेश कुमार द्वारा अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के एस.बी.क्रिमीनल मिसलेनियस बेल केन्सीलेशन एम्लीकेशन नं. 59/2025, सीमा देवी बनाम राजस्थान राज्य व मुकेश कुमार में पारित आदेश दिनांकः 31.07.2025 के द्वारा अभियुक्त मुकेश कुमार को आदेश दिनांकः 14.12.2023 की पालना में दिये गये अग्रिम जमानत के लाभ को निरस्त किया गया है।

11– विद्वान अधिवक्ता परिवादीया की ओर से प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय का **सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत क्रिमीनल अपील नं. 3830/2025, फिरेराम बनाम उत्तरप्रदेश राज्य व अन्य दिनांकः 2 सितम्बर 2025 में यह**

अभिनिर्धारित किया गया है कि "A fair trial is not only the right of the accused but also of the victim and of society. The right to a fair trial is meaningless if the witnesses cannot come forward to depose without fear." एवं उक्त न्यायिक दृष्टांत में सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत दोलतराम बनाम हरियाणा राज्य 1995 1 एससीसी 349, 1995 एससीसी क्रि. 237 का हवाला दिया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "As can be discerned from the above decisions, for cancelling bail once granted, the court must consider whether any supervening circumstances have arisen or the conduct of the accused post grant of bail demonstrates that it is no longer conducive to a fair trial to permit him to retain his freedom by enjoying the concession of bail during trial" तथा सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत सुशीला अग्रवाल बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली राज्य दिनांकः 29 जनवरी 2020 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "As regards the second question referred to this court, it is held that the life or duration of an anticipatory bail order does not end normally at the time and stage when the accused is summoned by the court, or when charges are framed, but can continue till the end of the trial. Again, if there are any special or peculiar features necessitating the court to limit the tenure of anticipatory bail, it is open for it to do so." अतः उक्त सम्मानीय न्यायिक दृष्टांतों से भी अभिलक्षित होता है कि अभियुक्त जमानत पर होने की आजादी का दुरूपयोग नहीं कर सकता है।

12– उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन व विश्लेषण के आधार पर यह भलीभांति स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त मुकेश कुमार द्वारा जमानत पर होने की आजादी का दुरूपयोग किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के एस.बी. क्रिमीनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नं. 14704/2023, मुकेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकः 14.12.2023 से अभियुक्त मुकेश

कुमार को मिली अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया गया है और उक्त अग्रिम जमानत के अनुसरण में ही नियमित जमानत मुचलके पेश करने का आदेश दिया गया था। अतः प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवादीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

13– परिणामस्वरूप परिवादीया सीमा कुमारी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त मुकेश कुमार की ओर से पूर्व में पेश नियमित जमानत मुचलके रदद कर उसे गिरफतारी वारण्ट से तलब करने का आदेश दिया जाता है।

(अनामिका सारण)
अपर सेशन न्यायाधीश
सिकराय, जिला दौसा

14– यह आदेश आज दिनांकः 10.09.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनामिका सारण)
अपर सेशन न्यायाधीश
सिकराय, जिला दौसा